कार्यालय कलेक्टर, जिला– कोरिया बैकुण्ठपुर, (छत्तीसगढ़)

//प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना//

बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/~~03~~ 05/2020

क्रमांक 3266 /प्रपत्र/2020 :: जिला कार्यालय में कार्यालयीन उपयोग हेतु लेखन सामाग्री का दर वर्ष 2020–21 के लिये निर्धारित किया जाना है। लेखन सामाग्री प्रदाय हेतु सील बंद निविदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैः–

1. सील बंद निविदा कलेक्टर कार्यालय में दिनांक 30/05/2020 को अपरान्ह **3.00** बजे तक सील बंद पेटी में प्रस्तुत करें या इसके पूर्व किसी भी दिन कार्यालयीन दिवस एवं समयावधि में जमा की जा सकती है। निविदायें उसी दिन दिनांक 30/05/2020 को सायंकाल **4.00** बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी।
2. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में रू. 3000/–(तीन हजार) का स्थानीय बैंक से कलेक्टर कोरिया के नाम जारी एफ.डी.आर. या बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. निविदा दर सामाग्री के विवरण के मात्रा के अनुसार प्रस्तुत करें।
4. निविदा की सामाग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृति दर पर नियत समय पर प्रदाय करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा।
5. यह दर वर्ष 01.04.2020 से 31.03.2021 तक एक वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगा।
6. समाग्री कार्यालय में पहुँचाकर देना होगा इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगा।
7. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर समस्त कर (Gst) सहित होगा।
8. फर्म का पंजीयन/विक्रय कर व Gst नम्बर/बैंक एकाउन्ट नम्बर, शाखा का नाम सहित होने पर ही निविदा दर मान्य की जायेगी।
9. निविदाकार को निविदा हेतु 02 लिफाफा ("अ"एवं"ब") पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "अ" 1–एफ.डी.आर. या बैंक ड्राफ्ट, 2–Gst पंजीयन प्रमाण पत्र, 3– फरवरी तक Gst चुकता प्रमाण पत्र (Gst Clearance Certificate) रहेगा। लिफाफा "ब" में दर सूची एवं प्रदाय की जाने वाली सामाग्री का नमूना रहेगा।
10. जिस निविदाकार द्वारा लिफाफा "अ" में एफ.डी.आर. या बैंक ड्राफ्ट, विक्रय का पंजीयन प्रमाण पत्र, विगत वर्ष का विक्रय कर का चुकता प्रमाण पत्र, छ.ग. दुकान एवं स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र संलग्न नही किया जावेगा। ऐसी स्थिति में निविदा को आवश्यक शर्तें पूर्ण न करने के कारण निविदा में शामिल नही किया जायेगा। ऐसे निविदाकार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा "ब" नही खोला जावेगा।
11. सामाग्री का विवरण कार्यालय के सूचना पटल से प्राप्त किया जा सकता है।
12. स्वीकृति निविदा दर वाले फर्म को सामाग्री का भुगतान ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जावेगा।

कृपया सामाग्री का नमूना, निविदा फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा आपका निविदा अमान्य माना जावेगा।

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

06/05/2020

डिप्टी कलेक्टर
हेतु– कलेक्टर, जिला कोरिया
(छ0ग0)

पृ0क्रमांक 3267 /प्रपत्र/2020 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/~~03~~ 05/2020

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय, रायपुर की ओर स्थानीय 02 समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
2. अपर कलेक्टर, बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।

3. अनुविभागीय अधि0 (रा0) बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़/खड़गवां–चिरमिरी/सोनहत/भरतपुर जिला कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़/खड़गवां–चिरमिरी/सोनहत/भरतपुर जिला कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
5. उप संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कोरिया (छ0ग0) को सूचनार्थ। प्रथम आमंत्रण सूचना जिला कोरिया (छ0ग0) के बेवसाइट में प्रकाशित किये जाने हेतु।
7. सूचना पटल में सामाग्री के विवरण पत्रक सहित चश्पा हेतु।

डिप्टी कलेक्टर
हेतु–कलेक्टर,जिला कोरिया
(छ0ग0)